भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2286**

(जिसका उत्तर 29 जुलाई, 2016/7 श्रावण,1938 (शक) को दिया जाना है)

**चिट फंड्स फ्राड**

2286. मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खानः श्रीगौरव गोगोईः

श्रीटी॰जी॰ वेंकटेश बाबूः श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधियाः

डॉ॰ उदित राजः श्रीमतीवी॰ सत्यबामाः

डॉ॰ के॰ कामराजः

क्या वित्तमंत्रीयह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में सरकार से गैर-कानूनी जमा और सामूहिक निवेश पर पाबंदी लगाने के लिए सरकार से एक व्यापक कार्ययोजना/मानदंड बनाने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे गैर-कानूनी जमा योजना को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**वित्त मंत्रालयमें राज्य मंत्री(श्रीसंतोष कुमार गंगवार)**

**(क) से (ग):** माननीय उच्चतम न्यायालय ने हयूमनिटी सॉल्ट लेक बनाम भारत संघ के मामले {2013 की रिट याचिका (सिविल) सं. 928} में सरकार को सामूहिक निवेश/चिट फंड स्कीमों के चुंगल में धन के अवैध संग्रहकी समस्या को नियंत्रितकरने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपाय प्रस्तुत करने का निर्देशदिया है। इस संबंध में सरकार ने, अन्य बातों के साथ-साथ अवैध जमा योजनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

i भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रोंमें राज्य स्तरीय समन्वय समितियों (एसएलसीसी) के रूप में एक तंत्रगठित किया है। इस फोरम का मुख्य उद्देश्य अप्राधिकृत संस्थाओं द्वारा जमाराशि एकत्रकरने/स्वीकार करने के बारे में विनियामकों एवं प्रवर्तनएजेंसियों के बीच सूचना साझा करने को सुकर बनाना है। एसएलसीसी की अध्यक्षताराज्य के मुख्य सचिव द्वारा की जाती है और इसकी बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाती हैं। मामलों के बारे में नियमित अनुवर्तीकार्रवाई के लिए 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रोंमें एसएलसीसी की उप-समितियां भी गठित की गई हैं। उप-समितियां आवश्यक होने पर दो एसएलसीसी बैठकों के बीच बैठकें आयोजित करती हैं।

ii सरकार द्वारा इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 के तहत प्रारूप मॉडल नियम तैयार किए गए हैं और इन्हें अपनाने हेतु सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है।

iii 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वित्तीय संस्थाओं के जमाकर्ताओं के हित की रक्षा करने के लिए वित्तीय प्रतिष्ठानों में जमाकर्ताओं का संरक्षण अधिनियम (पीआईडी अधिनियमों) को लागू किया है तथा उन्हें असामान्य प्रतिफल का वायदा करने वाली किसी योजना के विरुद्ध कार्रवाई करने का पर्याप्त अधिकार प्राप्त है।

******